भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- 430
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम

***430. डॉ. संबित पात्राः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं उपलब्ध कराने के लिए "प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना" की तर्ज पर "पशु औषधि भंडार" स्थापित करने के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त एलएचडीसीपी कार्यक्रम के तहत आवंटित धनराशि और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से सहकारी समितियों के माध्यम से पशु औषधि भंडार योजना को लागू करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं उपलब्ध कराने के लिए कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

डॉ. संबित पात्रा द्वारा पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में पूछे गए दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 430 के संबंध में भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) योजना के संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। संशोधित एलएचडीसीपी योजना के प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

इसमें तीन घटक हैं, नामतः खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस के टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी); क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ) और पेस्टे डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर) के टीकाकरण के लिए गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सीएडीसीपी), पशु चिकित्सा अस्पताल और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण - मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (ईएसवीएचडी-एमवीयू) और राज्य प्राथमिकता वाले रोग जैसे लम्पी त्वचा रोग (एलएसडी), रेबीज आदि के टीकाकरण, प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण और पक्षी वध संबंधी मुआवजा आदि के लिए पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (एएससीएडी) नामक उप-घटकों के साथ पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी), जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की बिक्री के लिए एलएचडीसीपी योजना में प्रधानमंत्री-किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों के माध्यम से पशु औषधि नामक एक नया घटक जोड़ा गया है।

(ख) एलएचडीसीपी के नए घटक पशु औषधि के अंतर्गत, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएम-केएसके) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता शुरू करने हेतु वर्ष 2025-26 तक दो वर्षों के लिए 75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त एलएचडीसीपी योजना के अंतर्गत आबंटित निधियां और किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
2022-23	2000.00	1390.02	801.48
2023-24	2349.71	1500.00	1037.20
2024-25	2465.00	1980.00	1583.53 (दिनांक 26.03.2025 तक

(घ) और (ङ) जी हां। एलएचडीसीपी योजना को संशोधित किया गया है और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएम-केएसके) और सहकारी समितियों के माध्यम से पशु औषधि नामक एक नया घटक जोड़ा गया है। एलएचडीसीपी के पशु औषधि घटक के लिए 75 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। जिसमें से 65 करोड़ रुपए बिक्री के लिए पशु चिकित्सा दवाओं की प्रारंभिक खरीद, 5 करोड़ रु. प्रोत्साहन और 5 करोड़ रु. विज्ञापन एवं प्रचार पर खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। इससे जेनेरिक दवाओं के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा और ये दवाएं सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली होंगी।

****